स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड/फैक्स/ई-मेल

संख्या: 55 / 2019 / 655 पी/छः-पु-6-19-1000(28)/2014

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय
प्रयागराज।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ, दिनांकः 23 अप्रैल, 2019

विषय- जनपद फैजाबाद (अयोध्या) में तैनात स्व0 अजय कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी की विधवा पत्नी श्रीमती कंचनलता सिंह को उ0प्र0 पुलिस (असाधारण पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत असाधारण पेंशन की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0 के पत्र संख्याःपेंशन स्टेट/असाधारण पेंशन/केस संख्या-281127/13 -14 /एल.आई.डी.-36824 /2892 दिनांक 05.02.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पुलिस (असाधारण पेशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 के नियम-3 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय **श्रीमती कंचनलता सिंह पत्नी स्व0 अजय कुमार सिंह , मुख्य आरक्षी, जनपद फैजाबाद (अयोध्या)** को असाधारण पेंशन तथा ग्रेच्युटी निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैः-

श्रीमती कंचनलता सिंह पत्नी स्व0 अजय कुमार सिंह , मुख्य आरक्षी	**असाधारण पेंशन रू0 17,743 -**(रू0 सत्रह हजार सात सौ तैंतालिस मात्र) (वेतन रू0 11,750 /- + मंहगाई भत्ता रू0 5,993) प्रतिमाह **स्व0 अजय कुमार सिंह , मुख्य आरक्षी की अधिवर्षता आयु अथवा पत्नी श्रीमती कंचनलता सिंह** के पुनर्विवाह या मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो ।
	ग्रेच्युटी रू0- 1,41,944 /-(रू0 एक लाख एकतालिस हजार नौ सौ चौवालिस मात्र) एकमुश्त ।

2- उक्त असाधारण पेंशन जो **दिनांक 18 -02-2011** से देय होगी, का भुगतान **कोषागार आजमगढ** से होगा और यह धनराशि उ0प्र0 के आय-व्यय के लेखाशीर्षक ‘‘2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तिक हित लाभ-200-अन्य पेंशन-02 असाधारण पारिवारिक पेंशन-26 पेंशन तथा आनुतोषिक’’ के नामे डाला जायेगा। अधिवर्षता की तिथि के उपरान्त उक्त पेंशन उ0प्र0 पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 एवं प्रथम संशोधन नियमावली, 1975 में उल्लिखित शर्तो के अनुसार पुनरीक्षित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- नवीन पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अन्तर्गत **श्रीमती कंचनलता सिंह** को स्वीकृत पेंशन तथा ग्रेच्युटी की धनराशि उपरोक्त स्वीकृत की गयी असाधारण पेंशन तथा ग्रेच्युटी में से समायोजित कर ली जायेगी।

4- कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 के उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त चरित्र पंजिका मूलरूप में संलग्न कर वापस भेजी जा रही है। कृपया भुगतान के आदेश तत्काल निर्गत कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को एक सप्ताह में अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्नकः-चरित्र पंजिका मूलरूप में ।

भवदीय
महेन्द्र सिंह
अनु सचिव।

संख्या- 55 / 2019 / 655 पी (1)/छः-पु-6-19- 1000(28)2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज को उनके पत्रांक संख्याः चार-1562 -2011, दिनांक 14.12.2013 के क्रम में।
2- कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0।
3- जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, **अयोध्या** ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ ।
5- श्रीमती कंचनलता सिंह पत्नी स्व0 अजय कुमार सिंह , मुख्य आरक्षी, निवासी - ग्राम भदैया, थाना- जहानागंज, पोस्ट - बडौरा, जनपद- आजमगढ- 224001 (स्पीड पोस्ट)।
6- गार्ड फाईल/संबंधित स.अ.।

आज्ञा से
महेन्द्र सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।